

**कार्यालय कलेक्टर जिला कोण्डागांव एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
-: अधिसूचना :-**

क्रमांक/20211020201400032/अ-82/भू-अर्जन/2021-22 कोण्डागांव, दिनांक/10/2024

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की ग्राम-उरंदाबेड़ा/बारदा, तहसील-फरसगांव भू-अर्जन अन्तर्गत बडेडोंगर-उरंदाबेड़ा-कोनगुड़ मार्ग के नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु ग्राम-उरंदाबेड़ा की निजी भूमि रक्कबा 0.678 है। एवं ग्राम-बारदा की निजी भूमि रक्कबा 0.396 है। इस प्रकार कुल रक्कबा 1.074 है। भूमि की आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**-: अनुसूची :-**

**1. भूमि का वर्णन-**

1. जिला - कोण्डागांव
2. तहसील - फरसगांव
3. ग्राम - उरंदाबेड़ा/बारदा
4. भूमि का क्षेत्रफल - 0.678 हेक्टेयर/0.396 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल रक्कबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रक्कबा (हेक्टेयर में)
<b>ग्राम-उरंदाबेड़ा</b>		
4/3क	1.086	0.056
4/3ग1	1.086	0.040
4/2	0.809	0.146
7/1	0.809	0.089
45	1.376	0.202
4/2ख	0.538	0.028
43/2ख	0.226	0.097
43/2ड./1	0.162	0.020
<b>योग :- 08</b>	<b>6.092</b>	<b>0.678</b>
<b>ग्राम-बारदा</b>		
44/4/झ	1.052	0.202
44/4/व	2.651	0.101
43/5	1.011	0.093
<b>योग :- 03</b>	<b>4.714</b>	<b>0.396</b>

- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) फरसगांव के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(कुणाल दुदावत)

कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


11/2/1

पृष्ठा ५०३८

पृष्ठा ५०३८/२०२१०२०१४०००३२/अ-८२/भू-अर्जन/२०२१-२२ कोण्डागांव, दिनांक २५/१०/२०२४

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, कांकेर को उपरोक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो समाचार पत्रों, छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में कराने एवं प्रकाशन उपरान्त इसकी प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसगांव को उपलब्ध कराने बाबत्।
2. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोण्डागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू-अर्जन से संबंधित वेबसाईट एवं जिला के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसगांव को उपलब्ध कराने बाबत्।
3. तहसीलदार फरसगांव को अधिसूचना की प्रति कार्यालय तहसीलदार फरसगांव, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसगांव, कलेक्टर जिला-कोण्डागांव, कार्यालय ग्राम पंचायत-उरंदाबेड़ा/बड़गढ़, कार्यालय जनपद पंचायत फरसगांव में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसगांव को पृथक-पृथक उपलब्ध कराने बाबत्।

  
(कुणाल दुदावत)

कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग